साथिन कार्यक्रम–

महिला विकास कार्यक्रम की केन्द्र बिन्दु मानदेय प्राप्त ग्राम पंचायत साथिन है। साथिन का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। महिला विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने हेतु उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। ग्राम स्तर पर साथिन मुख्य मार्गदर्शक के रूप में ही कार्य नही कर रही है वरन् महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य भी कर रही हैं। महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत करना भी साथिन का कार्य है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। वर्तमान में स्वीकृत साथिनों की संख्या 11316 है। राज्य में 8468 साथिनें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं एवं गतिविधियों का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए कार्यरत है। माह अगस्त, 2019 से साथिन का मानदेय 3500/– रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है।

साथिन के कार्य–

- प्रत्येक सोमवार/गुरूवार को MCHN Day पर किशोर बालिकाओं के लिए गतिविधियों में भाग लेना । कन्या वाटिका बनवाने हेतु बालिकाओं को प्रेरित करना।
- प्रत्येक मंगलवार को 11–18 वर्ष की स्कूल न जानेवाली/स्कूल बीच में छोड़ चुकी किशोर बालिकाओ को चिन्हित कर उन्हे शिक्षा सेतु योजना से जोड़ना, बालिका समूह की बैठके आयोजित करवाना है। राजश्री योजना से बालिकाओं को लाभान्वित करवाना।
- प्रत्येक बुधवार को एसएचजी गठन एवं बैंक लिंकेज हेतु बैठकें आयोजित करना।
- गांव में शुक्रवार को महिलाओं की ग्रामस्तरीय जाजम बैठक आयोजित करना। पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेन्टर/ महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, महिला जिला सहायता समिति के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगी।
- प्रत्येक शनिवार को रिकॉर्ड संधारित करना।
- इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोकथाम एवं विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का कार्य भी किया जाता है। ग्राम सभाओं में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना पर चर्चा करना।